19

19

19

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

धारा 4 का संशोधन।

129. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,
30 अर्थात्:—

'(i) "अंतःसंबंधी उपक्रमों" से दो या अधिक ऐसे उपक्रम अभिप्रेत हैं, जो निम्नलिखित किसी रीति में एक दूसरे से अंतःसंबंधित हैं, अर्थात् :—

(क) यदि एक, दूसरे का स्वामी है या उसका नियंत्रण करता है ;

(ख) जहां उपक्रम फर्मों के स्वामित्वाधीन हैं, यदि ऐसी फर्मों के एक या अधिक समान भागीदार हैं ;

35 (ग) जहां उपक्रम निगमित निकायों के स्वामित्वाधीन हैं,—

(I) यदि एक निगमित निकाय दूसरे निगमित निकाय का प्रबंध करता है ; या

(II) यदि एक निगमित निकाय दूसरे निगमित निकाय का समनुषंगी है ; या

(III) यदि निगमित निकाय एक ही प्रबंधतंत्र के अधीन हैं ; या

(IV) यदि एक निगमित निकाय किसी अन्य रीति में दूसरे निगमित निकाय पर नियंत्रण का प्रयोग करता है;

(घ) जहां एक उपक्रम किसी निगमित निकाय के स्वामित्वाधीन है और दूसरा किसी फर्म के स्वामित्वाधीन है, वहां यदि फर्म के एक या अधिक भागीदार,—

(I) निगमित निकाय के पचास प्रतिशत से अन्यून शेयर, चाहे अधिमानी या साधारण, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, धारण करता है या करते हैं ; या

(II) निगमित निकाय पर चाहे निदेशक के रूप में या अन्यथा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का प्रयोग करता है या करते हैं ; या

(ङ) यदि एक किसी निगमित निकाय के स्वामित्वाधीन है और दूसरा उसके भागीदारों के रूप में निगमित निकाय वाली किसी फर्म के स्वामित्वाधीन है, यदि ऐसे निगमित निकाय एक ही प्रबंधतंत्र के अधीन हैं ;

(च) यदि उपक्रम एक ही व्यक्ति या एक ही समूह के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हैं ;

(छ) यदि एक उपक्रम के साथ या तो प्रत्यक्षतः या ऐसी संख्या में उपक्रमों के माध्यम से संबंधित है, जो एक या अधिक पूर्वगामी उपखंडों के अर्थ के भीतर अंतःसंबंधित उपक्रम हैं ।

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, दो निगमित निकायों को एक ही प्रबंधतंत्र के अधीन समझा जाएगा,—

(i) यदि ऐसा एक निगमित निकाय, दूसरे निगमित निकाय पर नियंत्रण का प्रयोग करता है या दोनों एक ही समूह या एक ही समूह के किसी घटक के नियंत्रणाधीन हैं ; या

(ii) यदि ऐसे एक निगमित निकाय का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक दूसरे का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक है ; या

(iii) यदि ऐसा एक निगमित निकाय दूसरे में एक-चौथाई से अन्यून साधारण शेयर धारण करता है या दूसरे के निदेशक बोर्ड की कुल सदस्यता के एक-चौथाई से अन्यून संयोजन का नियंत्रण करता है ; या

(iv) यदि ऐसे एक निगमित निकाय का एक या अधिक निदेशक दूसरे के एक-चौथाई निदेशकों का गठन करते हैं या उस दिन के ठीक पूर्व की छह मास की अवधि के भीतर, जब इस बारे में प्रश्न उद्‌भूत होता है कि क्या ऐसे निगमित निकाय एक ही प्रबंधन के अधीन हैं (चाहे स्वतंत्र रूप से या प्रथमवर्णित निगमित निकाय के ऐसे सशक्त या कर्मचारियों के नातेदारों के साथ) गठन करते हैं ; या

(v) यदि किसी समूह का या के समान व्यष्टि, ऐसे एक निगमित निकाय में एक-चौथाई से अन्यून साधारण शेयर (चाहे स्वयं या अपने नातेदारों के साथ मिलकर) धारण करते समय दूसरे निगमित निकाय में भी एक-चौथाई से अन्यून साधारण शेयर (चाहे स्वयं या अपने नातेदारों के साथ मिलकर) धारण करता है या करते हैं ; या

(vi) यदि किसी समूह का या के समान निगमित निकाय, एक निगमित निकाय में एक-चौथाई से अन्यून साधारण शेयर, चाहे स्वतंत्र रूप से या अपने समनुषंगी या समनुषंगियों के साथ मिलकर धारण करते समय दूसरे निगमित निकाय में भी एक-चौथाई से अन्यून साधारण शेयर धारण करता है या करते हैं ; या

(vii) यदि दोनों निगमित निकायों में से प्रत्येक के संबंध में कुल मतदान शक्ति के एक-चौथाई से अन्यून का प्रयोग या नियंत्रण समान व्यष्टि द्वारा (चाहे स्वतंत्र रूप से या अपने नातेदारों के साथ मिलकर) या समान निगमित निकाय द्वारा (चाहे स्वतंत्र रूप से या अपने समनुषंगियों के साथ मिलकर) किया जाता है ; या

(viii) यदि दोनों निगमित निकायों में से प्रत्येक के संबंध में कुल मतदान शक्ति के एक-चौथाई से अन्यून का प्रयोग या नियंत्रण किसी समूह के समान व्यष्टियों द्वारा या किसी समूह के समान निगमित निकायों द्वारा या ऐसे व्यष्टि या व्यष्टियों या एक या अधिक ऐसे निगमित निकायों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है ; या

(ix) यदि ऐसे एक निगमित निकाय के निदेशक दूसरे के एक या अधिक निदेशकों के निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के अभ्यस्त हैं या यदि दोनों निगमित निकायों के निदेशक किसी व्यष्टि के, चाहे किसी समूह से सम्बद्ध हो या नहीं, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के अभ्यस्त हैं ।

स्पष्टीकरण 2—यदि कोई समूह किसी निगमित निकाय पर नियंत्रण का प्रयोग करता है तो वह निगमित निकाय और ऐसा प्रत्येक अन्य निगमित निकाय, जो समूह का घटक है या उसके नियंत्रणाधीन है, समान प्रबंधन के अधीन समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3—यदि एक ही प्रबंधतंत्र के अधीन दो या अधिक निगमित निकाय, किसी अन्य निगमित निकाय में कुल मिलाकर एक-चौथाई से अन्यून शेयर पूंजी धारण करते हैं तो ऐसा अन्य निगमित निकाय, प्रथमवर्णित निगमित निकाय के रूप में एक ही प्रबंधतंत्र के अधीन समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 4—यह अवधारित करने में कि क्या दो या अधिक निगमित निकाय समान प्रबंधन के अधीन हैं या नहीं, ऐसे निगमित निकायों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित शेयरों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

दृष्टांत

उपक्रम **ख**, उपक्रम क के साथ अंतःसंबंधित है और उपक्रम **ग**, उपक्रम **ख** के साथ अंतःसंबंधित है । उपक्रम **ग**, उपक्रम **क** के साथ अंतःसंबंधित है ; यदि उपक्रम **घ**, उपक्रम **ग** के साथ अंतःसंबंधित है, तो उपक्रम **घ**, उपक्रम **ख** के साथ और परिणामस्वरूप उपक्रम **क** के साथ और इसी प्रकार आगे भी अंतःसंबंधित होगा ।

स्पष्टीकरण 5—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''समूह'' से,—

(i) दो या अधिक व्यष्टियों, व्यष्टि-संगमों, फर्मों, न्यासों, न्यासियों या निगमित निकायों (वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) या उनके किसी समुच्चय का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो किसी निगमित निकाय, फर्म या न्यास पर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, नियंत्रण रखता है या उसके नियंत्रण रखने की स्थिति में होने के लिए उसकी स्थापना की जाती है ; या

(ii) सहयोजित व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 6—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(I) उन व्यक्तियों के समूह के बारे में भी, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी निगमित निकाय, फर्म या न्यास की पालिसी पर, उस निगमित निकाय, फर्म या न्यास में नियंत्रणकारी हित रखे बिना, नियंत्रण रखने में समर्थ है, यह समझा जाएगा कि वे उस पर नियंत्रण रखने की स्थिति में है ;

(II) ''सहयोजित व्यक्तियों'' से,—

(क) किसी निगमित निकाय के निदेशक के संबंध में,—

(i) ऐसे निदेशक का नातेदार अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसी फर्म भी है, जिसमें ऐसा निदेशक या उसका नातेदार भागीदार है ;

(ii) ऐसा कोई न्यास अभिप्रेत है, जिसका ऐसा निदेशक या उसका नातेदार न्यासी है ;

(iii) ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है, जिसका ऐसा निदेशक, चाहे स्वतंत्र रूप से या अपने नातेदारों के साथ, उसके निदेशक बोर्ड के एक-चौथाई का गठन करता है ;

(iv) कोई अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है, जिसके किसी साधारण अधिवेशन में ऐसे निगमित निकाय के निदेशकों की कुल संख्या के एक-चौथाई से अन्यून निदेशक प्रथमवर्णित निगमित निकाय के निदेशक या उसके नातेदार द्वारा, चाहे वह एकल रूप से कार्य कर रहा हो या संयुक्त रूप से, नियुक्त या नियंत्रित किए जाते हैं ;

(ख) किसी फर्म के भागीदार के संबंध में ऐसे भागीदार का कोई नातेदार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उस फर्म का कोई अन्य भागीदार भी है ; और

(ग) किसी न्यास के न्यासी के संबंध में, उस न्यास का कोई अन्य न्यासी अभिप्रेत है ;

(III) जहां ऐसा कोई व्यक्ति किसी अन्य के संबंध में कोई सहयोजित व्यक्ति है, वहां पश्चात्वर्ती के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पूर्ववर्ती के संबंध में सहयोजित व्यक्ति है ।'।

धारा 9 का संशोधन।

130. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में ''एक लाख'' शब्दों के स्थान पर ''तीस लाख'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 9क का संशोधन।

131. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

1974 का 2

''(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध (धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के सिवाय) असंज्ञेय होंगे ।''।

धारा 11क का संशोधन।

132. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क में,—

(क) उपधारा (5) में, ''या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से'' शब्दों के स्थान पर ''या संदत्त नहीं किया गया है या उसका कम उद्ग्रहण या कम संदाय किया गया है या भूल से'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(8) जहां किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा सूचना की तामील पर रोक लगा दी जाती है, वहां उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक वर्ष अथवा, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि की संगणना करने में, उस रोक की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।''।

http://indiabudget.nic.in

धारा 11कग का संशोधन।

133. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) में ''या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से'' शब्दों के स्थान पर ''या संदत्त नहीं किया गया है या उसका कम उद्ग्रहण या कम संदाय किया गया है या भूल से'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में, ''शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शुल्क'' शब्दों के स्थान पर ''शास्ति की रकम केवल उस दशा में, जहां शास्ति का संदाय इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर दिया जाता है, इस प्रकार अवधारित शुल्क'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 12च का संशोधन।

134. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 12च की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो ''मजिस्ट्रेट'' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, ''केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त'' शब्द रखे गए हों ।'। 1974 का 2

धारा 13 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

135. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

गिरफ्तार करने की शक्ति।

''13. (1) यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और यथासंभव शीघ्र उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, अनावश्यक विलंब के बिना, किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा ।

(3) जहां किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को किसी अपराध (धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से भिन्न) के लिए गिरफ्तार किया है वहां उसे, उस व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए, वही और उन्हीं उपबंधों के अधीन रहते हुए शक्तियां होंगी, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को हैं और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन हैं । 1974 का 2

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध (धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के सिवाय) जमानतीय होंगे । 1974 का 2

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय होंगे। 1974 का 2

धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए लोक अभियोजक को सुने बिना जमानत का मंजूर न किया जाना।

13क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक — 1974 का 2

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति संबंधी आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो ; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां मजिस्ट्रेट का यह समाधान न हो गया हो कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि वह उस अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है :

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है या स्त्री है या बीमार या शिथिलांग है, यदि मजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के बारे में अन्वेषण तब तक नहीं करेगा जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो ।''। 1974 का 2

धारा 18 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

136. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

तलाशी और गिरफ्तारी कैसे की जाए।

''18. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सभी तलाशियां और इस अधिनियम के अधीन सभी गिरफ्तारियां, इस अधिनियम के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन तलाशियों और गिरफ्तारियों से क्रमशः संबंधित उस संहिता के उपबंधों के अनुसार, की जाएंगी । 1974 का 2

धारा 19 का लोप ।

137. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 19 का लोप किया जाएगा ।

138. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 20 में,— धारा 20 का संशोधन।

(क) "धारा 19 के अधीन" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष" शब्दों के पूर्व "अधिनियम के उपबंधों के अनुसार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

1944 का 1

139. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 62 (अ), तारीख 6 फरवरी, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) संशोधित हो जाएगी और पांचवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट उक्त अधिसूचना के संबंध में उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो गई समझी जाएगी । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी अधिसूचना का संशोधन।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को भूतलक्षी रूप से उक्त अधिसूचना का संशोधन करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्राप्त थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता, यदि उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित न किया गया होता ।

140. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा । तीसरी अनुसूची का संशोधन।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 का 5

141. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची का सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा। पहली अनुसूची का संशोधन।

142. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 54 में, टिप्पण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा और 29 जून, 2010 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:— पहली अनुसूची के अध्याय 54 के अध्याय टिप्पणों का संशोधन।

"1क. टिप्पण 1 में किसी बात के होते हुए भी, मानव निर्मित फाइबर को, जैसे प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट से, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट पालिथिलीन टेरेफेथालेट बोतलें भी हैं, पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर और पोलिएस्टर फिलामेंट सूत, यथास्थिति, अध्याय 54 या अध्याय 55 के अधीन टेक्सटाइल सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।"।

(2) तारीख 29 जून, 2010 से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में "विनिर्दिष्ट अवधि" कहा गया है) किसी समय उत्पाद-शुल्क की वसूली के लिए की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए उसी रूप में और सदैव से ही विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की गई है, मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी,—

(क) ऐसे माल पर विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उद्गृहीत, निर्धारित या संगृहीत सभी उत्पाद-शुल्कों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उसी रूप में और सदैव से ही विधिमान्य रूप से उद्गृहीत, निर्धारित या संगृहीत किए गए हैं, मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ;

(ख) ऐसे सभी शुल्कों की, जो संदत्त नहीं किए गए हैं किन्तु जो उस दशा में संदत्त होते, यदि उपधारा (1) के अधीन किए गए संशोधन प्रवृत्त होते, वसूली उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर संदाय न किए जाने की दशा में, वसूल किए जाने वाले शुल्कों की रकम के अतिरिक्त ऐसे शुल्कों की रकम पर, चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज, तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के ठीक पश्चात् की तारीख से उसका संदाय किए जाने की तारीख तक, संदेय होगा ;

(ग) निर्धारिती, खंड (ख) के अधीन वसूल किए जाने वाले शुल्क की रकम की संगणना करते समय, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन अंतःनिवेशों, अंतःनिवेश सेवाओं और पूंजीगत माल पर, यदि कोई हो, शुल्क का केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय को, जिसका उसके द्वारा ऐसे माल को गैर उत्पाद-शुल्क्य या छूट प्राप्त माल माने जाने के कारण फायदा नहीं उठाया गया है, हिसाब में लेने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो उस दशा में दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं होती ।"।